

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

12.03.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2298 का उत्तर

लक्सर जंक्शन के समीप विभिन्न स्थानों पर रेल उपरिपुल

2298. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का उत्तराखण्ड में लक्सर जंक्शन से रुड़की-सहारनपुर रेल लाइन और लक्सर-हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन पर विभिन्न स्थानों पर रेल उपरिपुलों (आरओबी) के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हां, तो अब तक निर्मित किए गए रेल उपरिपुलों की संख्या कितनी है और उनकी स्थिति क्या है;
- (ग) वर्तमान में कितने रेल उपरिपुल निर्माणाधीन हैं और उनके निर्माण के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और
- (घ) यात्रियों की सुविधा और यातायात के सुचारू संचालन के लिए सरकार की भावी योजनाओं का व्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

- (क) से (घ): भारतीय रेल में समपारों के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्यों को स्वीकृत करना एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है और परिचालन में संरक्षा पर इसके प्रभाव, रेलगाड़ियों की गतिशीलता एवं सड़क उपयोगकर्ताओं पर इसके प्रभाव तथा व्यवहार्यता आदि के आधार पर शुरू किया जाता है।

2004-14 की अवधि की तुलना में 2014-24 के दौरान भारतीय रेल पर निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार है:

अवधि	निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुल
2004-14	4148 अदद
2014-24	11,945 अदद (लगभग तीन गुना)

01.02.2025 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल पर 97,422 करोड़ रुपए की लागत पर 4344 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुल स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें उत्तराखण्ड राज्य में 152 करोड़ रुपए की लागत वाले 8 ऊपरी/निचले सड़क पुल कार्य शामिल हैं।

लक्सर जंक्शन-रुड़की-सहारनपुर और लक्सर-हरिद्वार-देहरादून रेल लाइनों पर 33 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुल मौजूद हैं और वर्तमान में इन लाइनों पर 06 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुल के कार्य स्वीकृत हैं, जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्यों का पूरा होना और उन्हें कमीशन करना समाप्त को बंद करने के लिए सहमति देने में राज्य सरकार का सहयोग, पहुंच मार्गों के संरेखण तय करना, सामान्य आरेखण व्यवस्था (जीएडी) का अनुमोदन, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाना, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, परियोजना क्षेत्र/कार्य स्थलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण विशेष परियोजना/क्षेत्र के लिए एक वर्ष में कार्य की अवधि आदि जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना/कार्यों को पूरा करने के समय को प्रभावित करते हैं।

\*\*\*\*\*